सेवा में,

शीर्ष वरीयता/अति महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख,

1. राज्य सरकार के समस्त कार्यालय
2. राज्य सार्वजनिक उपक्रम (State PSUs)
3. केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालय
4. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSUs)
5. राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियाँ, स्वायत्त निकाय, निगम, बोर्ड एवं अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थान जनपद देहरादून।

पत्रांक: 1628 /निर्वा./कार्मिक डाटाबेस/2026 दिनांक: 16 नवंबर 2026

विषयः उत्तराखण्ड विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2027 के सफल सम्पादन हेतु मतदान/मतगणना कार्मिकों की तैनाती हेतु समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में (अंतिम अवसर)।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून द्वारा पूर्व में प्रेषित विभिन्न् पत्रों का अक्षरशः सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी उत्तराखण्ड विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के सफल सम्पादन हेतु मतदान/मतगणना कार्मिकों की तैनाती हेतु आप व आपके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कार्मिकों की सूची दो प्रतियों में क्रमशः जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून तथा जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने हेतु एक से अधिक बार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रालेखों/अनुस्मारकों के माध्यम से निर्देशित किया गया है, किन्तु जनपदान्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इस सन्दर्भ में शिथिलता बरती गयी है, जो कि शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है एवं निर्वाचन जैसे अति संवैधानिक एवं राष्ट्रीय महत्व वाली कार्यप्रणाली के विषय में आपकी अरूचि व गंभीर उदासीनता को दर्शाता है। आपके स्तर से हो रहे इस विलंब के कारण मतदान कार्मिकों का डाटाबेस, रैंडमाइजेशन तथा प्रशिक्षण की कार्यवाही बाधित हो रही है।

आपको स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन कार्य हेतु कार्मिक उपलब्ध कराना आपका वैधानिक दायित्व है:

1. **भारत के संविधान का अनुच्छेद 324(6)** – निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर निर्वाचन संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
2. **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26** – जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है।
3. **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क** – निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन की अधिसूचना से परिणाम घोषित होने तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाते हैं तथा आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन रहते हैं।
4. **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159** – सरकारी कंपनियों तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित या वित्तपोषित उपक्रमों एवं संस्थानों के लिए अनुरोध किए जाने पर निर्वाचन कार्य हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराना बाध्यकारी है।
5. **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134** – निर्वाचन संबंधी शासकीय कर्तव्य का बिना युक्तियुक्त कारण उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत आपको **कड़ाई से निर्देशित** किया जाता है कि:

1. अपने कार्यालय/उपक्रम के **समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/स्टाफ** की पूर्ण सूची निर्धारित प्रारूप में **इस पत्र की प्राप्ति के 07 (सात) कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से** हार्ड कॉपी (मुद्रित प्रति) में, कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर सहित, विशेष वाहक के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी एक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराएँ: (क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), जिला इकाई, देहरादून; अथवा (ख) जिला निर्वाचन कार्यालय (निर्वाचन अनुभाग), देहरादून। सात कार्य दिवसों की समय-सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
2. सूची के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित यह प्रमाण-पत्र संलग्न करें कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सूची से छोड़ा नहीं गया है। किसी कार्मिक को छिपाने अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना देने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

निर्धारित समय-सीमा में सूची उपलब्ध न कराए जाने को निर्वाचन कार्य में जानबूझकर असहयोग एवं शासकीय कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एवं सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड तथा आपके मंत्रालय/विभाग के उच्चाधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अत: अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्रालेख में संलग्न सूची में अंकित कार्यालय इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुये तत्काल अपेक्षित सूचना सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस प्रकरण में कोई अनुस्मारक प्रेषित नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

पृष्ठांकन संख्या: /निर्वा./कार्मिक डाटाबेस/2026 दिनांक: उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर प्रेषित।
2. संबंधित प्रशासकीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों के राज्य/क्षेत्रीय मुख्यालय प्रमुख – कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों से इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।
3. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
4. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं (प्रशासन), देहरादून।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC जिला केन्द्र देहरादून – प्राप्त सूचियों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner